उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रधान कार्यालय – अरण्य विकास भवन, 73 नेहरु रोड, देहरादून

दूरभाष :–0135–2657610, फैक्स :–0135–2655488, ई–मेलः vanvikas12@gmail.com

पत्रांक –उ – 1531 /LOI (05/506) दिनांक : 07, जुलाई, 2020

सेवा में,

1– महाप्रबन्धक (कु0म0),

2– क्षेत्रीय प्रबन्धक (कु0क्षे0)

उत्तराखण्ड वन विकास निगम,

हल्द्वानी।

विषय :– **आरक्षित वन क्षेत्र की गौला, कोसी, दाबका एवं शारदा नदियों से उपखनिज चुगान हेतु स्वीकृतियों के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– **अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 की पत्र संख्या–740/VII-A-I/2020/22 ख /13 दिनांक 26.06.2020 (संलग्न)**

महोदय,

शासन के सन्दर्भित पत्र के क्रम में आरक्षित वन क्षेत्र की जनपद नैनीताल की गौला, कोसी, दाबका एवं जनपद चम्पावत शारदा नदी से आगामी 10 वर्षो की अवधि के लिये उपखनिज चुगान एवं निकासी हेतु वन विभाग व उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) विभाग की अनापत्ति है।

"वन विभाग, उत्तराखण्ड के आरक्षित वन क्षेत्रों के अन्तर्गत जनपद नैनीताल स्थित गौला, कोसी, दाबका नदी तथा जनपद चम्पावत स्थित शारदा नदी से उपखनिज चुगान एवं निकासी का कार्य उत्तराखण्ड वन विकास निगम के द्वारा आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु किये जाने बाबत्, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं औद्योगिक विकास (खनन) विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति है।"

अतः आप उपरोक्त शासन के आदेश के क्रम में आरक्षित वन क्षेत्र की जनपद नैनीताल की गौला, कोसी, दाबका एवं जनपद चम्पावत शारदा नदी से आगामी 10 वर्षो की अवधि के लिये उपखनिज चुगान एवं निकासी हेतु यथा वांछित वन / पर्यावरणीय अनापत्ति आदि प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

07.07.2020

(मोनिष मल्लिक)

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक– 1531 **/तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रभागीय प्रबन्धक, खनन, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ मण्डल।
2. वरिष्ठ लेखाप्रबन्धक (मु0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।

07.07.2020

O/C

(मोनिष मल्लिक)

प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 740 /VII-A-1/2020/22ख/13

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

महत्वपूर्ण

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
उत्तराखण्ड देहरादून

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1   देहरादून, दिनांकः 26 जून, 2020

विषयः आरक्षित वन क्षेत्र की गौला, कोरी, दाबका एवं शारदा नदी से उपखनिज चुगान हेतु स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–उ–7189/उपखनिज चुगान/आशय पत्र–05(506), दिनांक 12 मार्च, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग, उत्तराखण्ड के आरक्षित वन क्षेत्रों के अन्तर्गत जनपद नैनीताल स्थित गौला, कोसी, दाबका नदी तथा जनपद चम्पावत स्थित शारदा नदी से उपखनिज चुगान एवं निकासी का कार्य उत्तराखण्ड वन विकास निगम के द्वारा आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु किये जाने बावत् वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं औद्योगिक विकास (खनन) विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति है।,

कृपया तद्नुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः 740 (1)/VII-A-1/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदत्त अनापत्ति के सन्दर्भ मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।

आज्ञा से,

(एन०एस० डुंगरियाल)
संयुक्त सचिव